मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1015

13.02.2025 को उत्तर के लिए

वायु गुणवत्ता में गिरावट

1015. श्री नीरज डांगी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न शहरों की वायु गुणवत्ता स्तर, विशेष रूप से प्रमुख मेट्रो क्षेत्रों में सुरक्षित सीमाओं को पार कर चुके पीएम 2.5 स्तरों में आई हालिया गिरावट के बारे में जानकारी है;

(ख) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के लक्ष्यों को पूरा करने में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार टियर 2 और 3 शहरों में, जहां पर्याप्त निगरानी बुनियादी ढांचे का अभाव है, वायु गुणवत्ता के मुद्दों को किस तरह से संभालने का इरादा रखती है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान वास्तविक समय वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए उपग्रह डेटा व्याख्या के लिए बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने जनवरी 2019 में 130 शहरों (वायु गुणवत्ता संबंधी मानकों को पूरा नहीं करने वाले शहरों और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों) में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया था। एनसीएपी के तहत 130 शहरों में से 97 शहरों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के स्तरों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में वार्षिक पीएम10 सांद्रता में कमी के मामले में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 130 शहरों में से 18 शहरों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में पीएम10 (60 माइक्रोग्राम/मीटर^3) के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा किया है।

वर्ष 2023 के पीएम2.5 आंकड़ों के आधार पर, 454 शहरों में से 246 शहरों, जहां निगरानी की गई थी, ने पीएम2.5 के स्तर के वार्षिक औसत के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा किया है।

महानगरीय शहरों के संबंध में, 5 शहरों ने राष्ट्रीय मानकों को पूरा किया है। वर्ष 2023 के लिए महानगरीय शहरों के पीएम 2.5 स्तर **अनुबंध-I** में दिया गया हैं।

सरकार ने 80 से अधिक उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानकों की अधिसूचना, बीएस-Vउत्सर्जन मानदंडों का कार्यान्वयन, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए रूपरेखा जैसे कई सक्रिय वायु गुणवत्ता सुधार उपाय किए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उपाय **अनुबंध -II** में संलग्न हैं। ये उपाय टियर 2 और टियर 3 वाले शहरों में वायु गुणवत्ता के मुद्दों का भी समाधान करते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान, उपग्रह आधारित वायु गुणवत्ता मापदण्ड पर अध्ययन के लिए 1,04,39,130 रुपये का आवंटन किया गया है।

***

अनुबंध-I

वर्ष 2023 के दौरान महानगरीय शहरों के वार्षिक औसत पीएम 2.5 स्तर का विवरण

क्र.सं.	**राज्य**	**शहर**	**2023 में वार्षिक औसत पीएम 2.5 स्तर (माइक्रोग्राम/मीटर^3)**
1	गुजरात	अहमदाबाद	39
2	कर्नाटक	बंगलौर	33
3	तमिलनाडु	चैन्नई	28
4	दिल्ली	दिल्ली	105
5	तेलंगाना	हैदराबाद	38
6	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	48
7	महाराष्ट्र	मुम्बई	47
8		पुणे	52
9	गुजरात	सूरत	50

नोट : पीएम 2.5 सांद्रताओं (वार्षिक औसत) के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक 40 माइक्रोग्राम/मीटर^3 है।

अनुबंध-II

वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

i. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अंतर्गत 80 से अधिक उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

ii. उत्सर्जन मानक हाल ही में अधिसूचित/संशोधित किए गए हैं:
   (क) तापीय विद्युत संयंत्र
   (ख) डीजल/पेट्रोल/सीएनजी जनरेटर सेट
   (ग) औद्योगिक बॉयलर
   (घ) चूना भट्टी
   (ङ) ईंट भट्टी और जिग-जैग प्रौद्योगिकी का रूपांतरण
   (च) कैल्सीनेटेड पेटकोक उद्योग
   (छ) हॉट मिक्स प्लांट

iii. दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से भारत स्टेज-VI (बीएस-VI) उत्सर्जन मानदंडों की ओर तेजी से बढ़ना

iv. वाहन स्क्रैपिंग नीति, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं तथा सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के लिए नियम

v. ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट बायोमेडिकल अपशिष्ट, तापीय विद्युत संयंत्र द्वारा 100% राख उपयोग के लिए अपशिष्ट प्रबंधन नियम

vi. अपशिष्ट श्रेणियों जैसे प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, बेकार टायर और इस्तेमाल किया हुआ तेल के लिए बाजार आधारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) विनियम पेश किए गए।

vii. अधिक कूड़ा फैलाने की क्षमता और कम उपयोगिता वाले 12 चिह्नित एकल-उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) को दिनांक 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित कर दिया गया

viii. एनसीआर और समीपवर्ती क्षेत्रों में तापीय विद्युत संयंत्र में कोयले (छर्रों/ब्रिकेट्स) के साथ-साथ फसल अवशेषों के न्यूनतम 5% के उपयोग का आदेश

ix. व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों को महत्वपूर्ण और गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों (सीपीए/एसपीएएस) के रूप में वर्गीकृत करना।

*****